संख्या-22/2025/806/30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2141स0सु0/2024-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 08-10-2024 एवं पत्र संख्या-342(जी)स0सु0/2024-16स0सु0/2023, दिनांक 03-12-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2024-25: प्रस्तावित पूंजीगत योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय की तालिका के क्रमांक-(5) पर अंकित कार्यों हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1512.00 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार धनराशि रू0 1405.35 लाख (रू0 चौदह करोड़ पांच लाख पैंतीस हजार मात्र) को अग्रिम रूप से आहरित कर यूपीडेस्को को भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य	वर्ष 2024-25 हेतु समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4
(1)	• यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराये गये वे-इन-मोशन संबंधी प्रस्ताव के क्रम में खनन विभाग के 24 क्रियाशील चेकप्वाइंट में से द्वितीय चरण में अवशेष 18 चेकप्वाइंट पर वे-इन-मोशन की स्थापना हेतु।	1512.00	1405.35
	योग -		1405.35

नियम व शर्तें -

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आपका होगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-442-X-2024-25, दिनांक 30 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-22/2025/806(1)/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।